आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

SHREE BANKE BIHARI SEVA
SANSTHAN

25/09/2014

Permanent Account Num

AAPTS0515B

04032015

Serial No. 14476 F14778 473 Book No. :- 4 Deed No. 86

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR A 109284

Serial No. 14476 Deed No. 86

Govt. of Bihar
District Registry Office ,Darbhanga
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 25/09/2014 by Sunil Kumar Thakur
A Stamp Duty of Rs. 6000/- and other Fees of Rs. 3400/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 86 in Book No. 4, Volume No. 2 on pages from 473 to 488 and has been preserved in total 16 pages in C.D. No. 1 / Year 2014

स्क्रॉल मिलान किया, सही पाया

प्रभारी लिपिक

Signature with Date
(Rita Sinha)
Date: 25/09/[redacted] Token No: 14778 /2014 Registering Officer, Darbhanga

श्री बांके बिहारी सेवा संस्थान(ट्रस्ट) दरभंगा (बिहार)

न्यास पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक- 25.09.2014 ई० .... को

श्री सुनील कुमार ठाकुर उम्र-40 वर्ष पिता स्व0.गंगा राम ठाकुर ग्राम-मझौड़ा

पो0-बहेड़ा जिला-दरभंगा (बिहार) भारतीय नागरिक इस न्यास के संस्थापक है

SCANNED by Satish

District Registry Office, Darbhanga

Token Number 14778 | Reg. Year 2014 | Serial Number 14476 | Deed Number 86

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Sunil Kumar Thakur						
Sig. सुनील कुमार ठाकुर 25/9/14							
Trustee	Sunil Kumar Thakur						
Sig. सुनील कुमार ठाकुर 25/9/14							
Trustee	Raghvendra Thakur						
Sig. राघवेन्द्र ठाकुर 25/9/14							
Trustee	Vipin Thakur						
Sig. विपिन कुमार ठाकुर 25/9/14							
Identified By	Dinesh Jha						
Sig. दिनेश झा 25/9/14							

505 506 507 508 509

7/2014

SCORE Ver.3.0 | Powered by InfoSystem and Solutions, Patna | Biometric Captured By 1300sop008

ह० सुनील कुमार ठाकुर

25/09/2014

जो इस न्यास के संस्थापक / न्यासकर्ता के नाम से जाने जाएगे।
चलान नं० 22 दिनांक:- 25.09.2014 मो० नं० 9122335645

<u>अपने स्वर्गीये पिता के याद में।</u>

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख शान्ति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ मानविय गुणों की स्थापना एवं विकास हेतु न्यास की स्थापना की जाए। इसके निमित प्रारंभ मुद्रा के रूप 100000/- रू(एक लाख रूपये) प्रदान करते है तथा न्यासकर्ता आजीवन संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहेंगे।

न्यास के उल्लेखित उद्दश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित न्यासी सदस्य इस न्यास के संस्थापक/ न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते है। जिनका नाम, पता एवं पद क्रमशः निम्नलिखित रूप में वर्णित है:-

क्र0 स0	पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार ठाकुर पिता- स्व0 गंगा राम ठाकुर उम्र-40	ग्राम- मझौड़ा, पो0-बहेड़ा, थाना-बहेड़ा जिला-दरभंगा (बिहार) 847201	समाजसेवी	संस्थापक
2	श्री राघवेन्द्र ठाकुर पिता-स्व0 सत्यनारायण ठाकुर उम्र-48	ग्राम-मझौड़ा, पो0-बहेड़ा, थाना-बहेड़ा जिला-दरभंगा (बिहार) 847201	कृषक	सदस्य
3	श्री वीपीन ठाकुर पिता-श्री कृष्ण विलास ठाकुर उम्र-39	ग्राम-मझौड़ा, पो0-बहेड़ा, थाना-बहेड़ा जिला-दरभंगा (बिहार) 847201	समाजसेवी	सदस्य

उपर्युक्त समस्त न्यासी न्यास के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बिना किसी पक्षपात के सर्वकल्याणार्थ कार्य करेंगे।

इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ करना अभिप्रेरित हो।इस न्यास से संबंधित सभी सूचनाओं का प्रारूप निम्नलिखित कंडिकाओं में क्रमशः वर्णित है:-

1. न्यास का नाम:- श्री बांके बिहारी सेवा संस्थान

2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय:- ग्राम- गौढ़िया दोनार थाना नं० 594

पो0- गंज दोनार

थाना- सदर दरभंगा अं० बहादुरपुर

जिला- दरभंगा (बिहार) जो किराये पर है।

पिन कोड- 846009

3. न्यास का कार्यक्षेत्र:- न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष का होगा।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या:- न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्याँ कम से कम तीन और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेगें।

5. ट्रस्ट का ध्येय एवं उद्देश्य :-

1. ट्रस्ट द्वारा आई0टी0आई0 (एन0सी0वी0टी0), पारा मेडीकल इंजनियरिंग कालेज, मेडीकल कालेज, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक कालेज, बी0एड0 कालेज नर्सिंग इन्स्टीच्यूट (एन0एन0एम0) पलिटेकनिक कालेज,फार्मेसी कालेज का संचालन किया जाएगा।

2. ट्रस्ट द्वारा समाज में निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालन करना। सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान का संचालन किया जाएगा।जिससे मेधावी गरीब छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना।

3. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों अल्पसंख्यकों, कमजोरवर्गो आदिवासियो आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।

4. शिक्षित बेरोजगार युवक – युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण

कला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स,मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना।

5. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल – विवाह, वेश्यावृति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदाय वाद इत्यादित की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितयों आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तार्जतीय विवाह को प्रोत्साहित करना।

6. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।

7. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।

8. पुस्तकालय, वाचनलय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना।

9. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना। असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0 बी0, कालाजार, हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु आवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। अस्पृश्यता निवारण हेतु व्यापक स्तर कार्य करना।

10. समाज के गरीब एवं नि:सहाय लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, फल एवं प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।

11. उर्जाके संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट,सौर उर्जा,उर्जा के गैर पारम्परिक श्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध करना।

12. पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।

13. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्ध्दविकसित बच्चे, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण सह

उत्पादन केन्द्र का संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का संपादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलाछाजन, जल संचयन, नलकूप, तालाब, पोखर आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16. अनाथ बच्चों, वृध्दों, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यज्त्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बालकोंके कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन। शिक्षा, भोजन एवं पुनर्वास,सेवागृह की व्यवस्था करना।

17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिग, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद – भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का नीदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

1. <u>सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति</u>

1. स्वयं त्याग – पत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।

458

उत्पादन केन्द्र का संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का संपादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।

14. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत उन्नत खाद, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलाछाजन, जल संचयन, नलकूप, तालाब, पोखर आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।

15. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।

16. अनाथ बच्चों, वृध्दों, वेश्याओं, प्रताड़ित, परित्यज्त्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बालकोंके कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन। शिक्षा, भोजन एवं पुनर्वास,सेवागृह की व्यवस्था करना।

17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पौष्टिक आहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।

18. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।

19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद – भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार कार्यक्रमों का संचालन करना।

20. वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का नीदान एवं स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना।

1. <u>सदस्यता की समाप्ति/विमुक्ति</u>

1. स्वयं त्याग – पत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।

4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।

5. प्रबन्ध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्कासित करने पर।

2. न्यास का प्रबंधन :-

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। जिसमें पदाधिकारी सहित तीन सदस्य होंगे। प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा किंतु आवश्यकता पड़ने पर परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर ले।

विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनित किए जायेंगें। न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे:-

1. दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता, शुल्क सहयोग राशि, धन – सम्पत्ति, व्यक्ति विशेष, संस्थान, स्वेच्छक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।

2. समय-समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।

3. न्यास के उद्देश्य पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।

4. न्यास के कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाएगा।

5. न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पति किराये/लीज/पट्टे पर लेना एवं देना।

6. न्यास के प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकृत करना।

480

7. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्णकालीक/अंशकालीक, वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों को लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।

8. न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।

9. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/संस्थान से सम्बद्ध होना, सम्बद्ध करना और उद्देश्य की पूर्ति करना।

10. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तानान्तरण करना या देना।

न्यास की सम्पत्ति, कोष/निधि समान उद्देश्य वाले संस्थान/स्वेच्छिक संगठन,न्यास/ट्रस्ट को देना।

12. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ राज्य/जिला/प्रखंड/पंचायत शाखासमिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।

13. न्यास के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय-व्यय की लेखा का अंकेक्षण करना हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

14. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।

15. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।

16. संस्थापक/न्यासकर्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा तय किया जाऐगा।

17. संस्थापक/न्यासकर्ता को समय-समय पर नियम बनाने परिवतर्न और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थित से होगा एवं सभी निर्णय संवधान के अन्तर्गत लिए जायेंगें।

3. <u>प्रबन्ध समिति का निर्वाचन</u> :-

प्रबन्ध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा। प्रबन्ध समिति गठन निबंधन के पश्चात् निर्वाचन के आधार पर होगा।

4. <u>प्रबन्ध समिति का अधिकार</u> :-

पाँच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किये जाऐंगें। शेष तीन सदस्य

साधारण सदस्य, संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किये जाऐंगें।

5. पदाधिकारी के अधिकार और कर्त्तव्य :-

1. संस्थापक अध्यक्ष

1. संस्थापक अध्यक्ष के सर्वोच्य पदाधिकारी सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।

2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।

3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।

4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।

5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।

6. आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक को मत देना या विवादाग्रत परिस्थिति में संस्थापक/न्यासकर्ता का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।

7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अंतर्गत ही किया जाएगा।

8. संस्थापक अध्यक्ष जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

9. संस्थापक अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहे न्यास का विघटन कर सकें।

10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख-पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्चय पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।

11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।

12. न्यास के सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।

13. न्यास के समस्त आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुरक्षा देना एवं योजना समिति/प्रबंध समिति के समक्ष स्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश में प्रतिनिधित्व करना।

15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य संपादित करना/अनुपालन करना।

16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारीयों/क्रर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।

17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबन्ध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के 10,000/- दस हजार) रूपय तक खर्च करना।

18. राष्टीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

2. <u>ट्रस्टी सचिव</u> :-

सचिव न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधरण आम सभा, प्रबन्ध समिति तथा किसी समिति, उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगें और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करेगा।

3. <u>ट्रस्टी कोषाध्यक्ष</u> :-

न्यास के कोष रोकड़ और बैंक पास बुक के सुरक्षित रखने का उत्तर दायित्व कोषाध्यक्ष को होगा। अधिक से अधिक पाँच हजार रूपय तक न्यास के कार्यों के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगें। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकघर या बैंक (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास,.के नाम जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा जमाकोष से रूपये की विकासी संस्थापक

अध्यक्ष एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। जिसमें संस्थापक अध्यक्ष का हस्ताकक्षर अनिवार्य होगा। कोषाध्यक्ष के अनुपस्थिति में संस्थापक अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर से जमाकोष का निकासी कर सकता है।

4. <u>प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे</u> :-

क. न्यास के सभी चल-अचल सम्पतियों की सुरक्षा एवं सुचारू प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी रहना।

ख. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

ग. समाल उद्देश्यों की ट्रस्य, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, संबंधता प्राप्त करना तथा उसकी पुर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।

घ. जिला/अनुमंडल/प्रखंड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धनराशि का अवंटन करना।

ङ. प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।

च. सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।

छ. किसी सदस्य जिनका चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।

ज. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितर हो उसे करेगी।

5. <u>प्रबंध समिति की बैठक</u> :-

1. साधारण सभा की बैठक के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण सभा की बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन सभा की बैठक के लिए एक दिन पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।

2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीनें में एक बार होगी।

3. बैठक में कुल सदस्यों की उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।

4.स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु प्रथम सूचना से बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

6. <u>आम सभा</u> :-

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित् तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे :-

क. पिछली बैठक की कार्यवाही को संपुष्ट करना।

ख. वार्षिक प्रतिवेदन की स्वीकृति प्रदान करना।

ग. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।

घ. अंकेक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

ङ. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

च. अगामी वर्ष के लिए आय-व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।

छ. आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित् निर्धारित करना।

ज. पूर् सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना ।

7. <u>असाधारण बैठक</u>:-

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

क. आवश्यकतानुसार संस्थापक अध्यक्ष की सलाह पर।

ख. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।

ग. सभा/बैठक की कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कभी भी चुनौती नहीं दी जायेगी।

घ. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जाएगी।

ङ. प्रबन्ध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी।

च. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेषज्ञ दूत से दी जाएगी।

8. <u>मतदान</u> :-

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुलेआम किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबन्धसमिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा गुप्त नतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

9. <u>कार्यकाल</u> :-

पदाधिकारी एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ताकि उन्हे पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

10. <u>रिक्त पदों की पूर्ति</u> :-

प्रबंध समिति में कोई भी पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाने पर रिक्त पद पर अवशिष्ट कार्यकाल के लिए संस्थापक अध्यक्ष किसी भी अन्य सदस्य का मनोनय कर सकते हैं।

11. <u>आय का श्रोत</u> :-

न्यास के आय के निम्नलिखित श्रोत होंगे :-

क. अनुदान

ख. ऋण

ग. सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य शुल्क

घ. विघटित संस्थान, संस्था एवं न्यास के कोष की प्राप्ति से प्राप्त कर ली जाएगी। निबंधन जब चाहे न्यास का अंकेक्षण कर सकते हैं। जिसका खर्च न्यास वहन करेगी।

12. <u>कोरम</u> :- आम सभा/प्रबन्ध समिति की बैठक का कोरम सदस्य न्यास के 2/3 भाग का होगा।

13. <u>न्यास के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन</u> :-

न्यास के स्मृति पत्र पर एवं नियमावली में समावेश एवं संशोधन मुख्य न्यासी द्वारा साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के समक्ष लिया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह श्री बांके बिहारी सेवा संस्थान के स्मृति पत्र एवं नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

न्यास वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च माना जाएगा। ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत

गवाह :- ट्रस्टी सदस्य का हस्ताक्षर एवं

निशान

1. 1. सुनील कुमार ठाकुर 25/09/2014

2. राधवेन्द्र ठाकुर 25/9/14

3. सही विपिन कुमार ठाकुर

2. प्रारूप तैयार किया :- 25/9/14

लेख्य तिथि :- 25. 09. 2014 ई०

Drafted by me.
Kali Chandra Jha
Advocate
25/9/2014
E.No-12468/94

Endorsement of Certificate of Admissibility

487

...missible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the ...ndian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act **Rs. 6000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act **Rs. 0/-**

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**5000/-**
Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**4400/-**

Registration Fee

FEE PAID

A1	**2000**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**1000**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**		
								TOTAL-	**3000**

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge

24 400

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 3400

Date: 25/09/2014

Registering Officer
Darbhanga

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Darbhanga Sadar on Thursday, 25th September 2014 by Sunil Kumar Thakur S/O Late Ganga Ram Thakur by profession Agriculture. Status - Trustee

सुनील कुमार ठाकुर 25/9/14

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:25/09/2014

Registering Officer
Darbhanga Sadar

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Dinesh Jha ' age '53' Sex 'M', 'S/O Late Gandev Jha ', resident of 'Bath Ps- Ghanshyamur,dbg'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Darbhanga

Date : 25/09/2014

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Darbhanga Sadar in Book 4 Volume No. 2 on pages on 473 -488 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Darbhanga

Date : 25/09/2014
Token No. : 14778 **Year : 2014** **S.No. : 14476** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 86**